रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/ नई परि./सा./पीआरओपी व एपीपीआर/ मा.सं./सीकेएसआरयू/ 407/2023/253 दिनांक 30 दिसंबर 2025

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरत्न अनुसूची 'ए' कंपनी, सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू), कोलकाता में **निश्चित अवधि केलिए अनुबंध के आधार पर** निम्नलिखित कामगार पदों को भरने के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करती है:

I. पद का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव : -

तालिका 1

क्र.सं.	पदों का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
1.	परियोजना सहायक (यांत्रिकी)	**अनिवार्य:** क. राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 60% अंकों के साथ यांत्रिकी इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा। **वांछनीय:** क. एसएपी,एमएस परियोजना, एमएस ऑफिस आदि जैसे कंप्यूटर अनुप्रयोगों में दक्षता। ख. हिंदी/बंगाली में संवाद करने की क्षमता।	कम से कम दो वर्ष का योग्यता प्राप्ति के बाद का अनुभव निम्नलिखित में से किसी एक में होना चाहिए: • शिपयार्ड या • इंजीनियरिंग कंपनी या • सरकारी / अर्ध सरकारी कंपनी/संस्थान।
2.	अनुबंध के आधार पर कार्यालय परिचर	सातवीं कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक उत्तीर्ण।	**अनिवार्य:** अनुभव अनिवार्य नहीं है। कार्य पर संगत अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। **कार्य अपेक्षाएं:** • अभिलेखों / फाइलों का भौतिक रखरखाव, • अभिलेखों/फाइलों की छंटाई, • कार्यालय के फर्नीचर, उपकरण,

			फिटिंग आदि सहित अनुभाग की सामान्य साफ-सफाई और रखरखाव, • अभिलेखों, कार्यालय के फर्नीचर, उपकरणों आदि को स्थानांतरित करने में सहायता प्रदान करना। • सीएसएल के अंदर या बाहर पत्रों, फाइलों आदि को ले जाना और पहुंचाना, • फोटोकॉपी करना, फैक्स भेजना आदि, • कमरों, हॉल आदि को खोलना और बंद करना, • कंप्यूटर के उपयोग सहित प्रेषण जैसे नियमित कार्यालय कार्यों में सहायता करना। • कार्यालयीन समारोह के दौरान चाय तैयार करना, जलपान की व्यवस्था करना और उन्हें परोसना, • कार्यालय की सभी आवश्यकताओं का सकारात्मक, विनम्र और शीघ्रता से जवाब दें और कर्तव्यों का पेशेवर और शिष्ट तरीके से निर्वाह करें, • सभी उचित सुरक्षा उपायों का पालन करें और कंपनी के नियमों का अनुपालन करें, • वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य गैर-लिपिकीय कार्य, • समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य। **वांछनीय :** हिंदी/बंगाली में संवाद करने की क्षमता।

II. महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन की शुरूआत : 30 दिसंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 20 जनवरी 2026

III. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण

तालिका 2

क्र.सं.	पद का नाम	अनारक्षित
1.	अनुबंध के आधार पर परियोजना सहायक (यांत्रिकी)	1
2.	अनुबंध के आधार पर कार्यालय परिचर	1

क) अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है ।

ख) बैंचमार्क दिव्यांगज व्यक्तियों केलिए आरक्षण भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

IV. अनुबंध की अवधि

क) उपरोक्त पद अस्थायी प्रकृति के हैं। हालांकि, अनुबंध के आधार **पर परियोजना सहायक (यांत्रिकी)** का कार्यकाल **अधिकतम पांच वर्ष** का है, जबकि अनुबंध के आधार पर **कार्यालय परिचर** का कार्यकाल परियोजना की आवश्यकताओं और वैयक्तिक प्रदर्शन के अधीन **अधिकतम तीन वर्ष** का है।

ख) तैनाती सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू) / सीएसएल के अन्य यूनिटों/सीएसएल द्वारा वांछितानुसार परियोजना स्थलों पर होगी । हालांकि, परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवार को सीएसएल की विभिन्न यूनिटों में स्थानांतरित किया जा सकता है। पदों पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या ऑनबोर्ड पोत पर या किसी अन्य यूनिट/ कार्य स्थल/ भारत या विदेश के किसी भी भाग में आरंभ की गई परियोजना, जैसे भी मामला हो, में सेवा करने का दायित्व है।

V. पारिश्रमिक

सभी पदों हेतु पारिश्रमिक विवरण निम्नानुसार है: -

क) अनुबंध के आधार पर परियोजना सहायक (यांत्रिकी)

(i) न्यूनतम अनुभव (अर्थात् 2 वर्ष) की आवश्यकता पूरी करने वाले उम्मीदवारों का समेकित वेतन ₹ 24,400/- प्रति माह है। वे अतिरिक्त कार्य घंटों के लिए ₹ 6,100/- प्रति माह तक के मुआवजे के भी पात्र होंगे।

(ii) सीएसएल या अन्य समान शिपयार्ड में न्यूनतम आवश्यक अनुभव के अतिरिक्त, पूरे वर्ष के ऑन-रोल अनुभव के लिए उम्मीदवारों को उच्च वेतन की पेशकश की जा सकती है।

ख) अनुबंध के आधार पर कार्यालय परिचर

तालिका 3

अनुबंध के आधार पर कार्यालय परिचर		
अनुबंध अवधि	**मासिक समेकित वेतन**	**काम के अतिरिक्त घंटों केलिए क्षतिपूर्ति (प्रति महीने)**
प्रथम वर्ष	₹ 20,200/-	₹ 3,600/-
द्वितीय वर्ष	₹ 20,900/-	₹ 3,700/-
तृतीय वर्ष	₹ 21,600/-	₹3,800/-

VI. आयु

क. **पद केलिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा दिनांक 20 जनवरी 2026 को 30 वर्ष से अधिक न हो, यानी आवदेकों का जन्म दिनांक 21 जनवरी 1996 को या उसके बाद होना चाहिए।**

ख. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बेंचमार्कदिव्यांगजन व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिकों केलिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। फिर भी, किसी भी स्थिति में, सभी आयु छूट लागू करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

VII. चयन की रीति

तालिका 4

क्र.सं.	पदों का नाम	चयन केलिए वेटेज			कुल अंक
		लिखित परीक्षा	**अवधि**	**प्रायोगिक परीक्षा (परीक्षा में प्राप्त ग्रेडों के आधार पर)****	
1	**अनुबंध के आधार पर परियोजना सहायक (यांत्रिकी)**	***वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफ़लाइन परीक्षा (चरण I - 80 अंक) परीक्षा का विवरण सामान्य ज्ञान - 5 अंक तर्क - 5 अंक मात्रात्मक योग्यता - 10 अंक सामान्य अंग्रेजी - 10 अंक विषय संबंधी प्रश्न - 50 अंक	90 मिनट	-	**100**
		विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा (द्वितीय चरण - 20 अंक)	45 मिनट		
2	**अनुबंध के आधार पर कार्यालय परिचर**	वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफ़लाइन परीक्षा, **चरण I - 50 अंक** (सामान्य प्रश्न (40 अंक) और मात्रात्मक योग्यता (10 अंक))	60 मिनट	50 अंक	**100**

** ***कार्यालय परिचर पद के लिए, जो उम्मीदवार प्रमाण पत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उन्हें बाद में द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा। द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा सीएसएल द्वारा निर्धारित स्थान पर पश्चिम बंगाल में आयोजित की जाएगी।***

*** ***वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में होगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और इसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।***

- **अनुबंध के आधार पर परियोजना सहायक (यांत्रिकी):**

क) पदों के लिए चयन की विधि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा के माध्यम से होगी, जो 100 अंकों की होगी और तदनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे।

ख) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल की ओर से सीकेएसआरयू द्वारा तय किए गए स्थान पर परीक्षाएं पश्चिम बंगाल में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्र का आवंटन पूरी तरह से सीएसएल के विवेकाधिकार पर होगा।

ग) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में नीचे दिए गए क्षेत्रों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या और अवधि परीक्षा के दिन सूचित की जाएगी। कुल परीक्षा 80 अंकों की होगी। परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा 45 मिनट की होगी। वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा का विवरण नीचे दिया गया है।

i. <u>**वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा**</u>

सामान्य ज्ञान	-	5 अंक
तर्कशक्ति	-	5 अंक
मात्रात्मक योग्यता	-	10 अंक
सामान्य अंग्रेज़ी	-	10 अंक
विषय संबंधी प्रश्न	-	50 अंक

ii. <u>**विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा**</u>

लेखन कौशल (अंग्रेज़ी भाषा) 20 अंक

कुल - 100 अंक

घ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम अनुलग्नक I में दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि दिया गया पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं।

ङ) विषयवार योग्यता सूची वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, पदों की योग्यता क्रम में प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए लघुसूचीगत किया जाएगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के समान अंक प्राप्त होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के विषय भाग में प्राप्त अंक योग्यता सूची का क्रम निर्धारित करने का आधार होंगे। इसके बाद टाई होने की स्थिति में, आयु में वरिष्ठता के आधार पर

सापेक्ष योग्यता का निर्णय किया जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को योग्यता क्रम में प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए लघुसूचीगत किया जाएगा। सभी श्रेणियों (दिव्यांग व्यक्तियों को छोड़कर) के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 50% होगा। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 40% होगा।

च) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल की ओर से सीकेएसआरयू को विभिन्न पदों के लिए आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की एक संक्षिप्त सूची तैयार करने का अधिकार रखता है, और केवल ऐसे चयनित उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

छ) पदों के लिए रैंक सूची वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के अंक होता है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के विषय भाग में प्राप्त अंकों के आधार पर रैंक सूची का क्रम निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद भी टाई होने की स्थिति में, आयु में वरिष्ठता के आधार पर संबंधित योग्यता का निर्णय किया जाएगा।

ज) केवल वे उम्मीदवार जो प्रमाण पत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, उन्हें चिकित्सा योग्यता की शर्त पर, अधिसूचित पदों के लिए योग्यता क्रम में अस्थायी रूप से चयन हेतु विचार किया जाएगा।

- **अनुबंध के आधार पर कार्यालय परिचर:**

क) वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा 60 मिनट की होगी, जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इसके दो भाग होंगे – सामान्य प्रश्न (40 अंक) और मात्रात्मक योग्यता (10 अंक)। **परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और बंगाली/हिंदी भाषा होगा।** प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

ख) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीकेएसआरयू द्वारा सीएसएल की ओर से तय किए गए स्थान पर पश्चिम बंगाल में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र का आवंटन पूरी तरह से सीएसएल के विवेक पर निर्भर करेगा।

ग) प्रथम चरण वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफ़लाइन परीक्षा और द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा दोनों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नानुसार होंगे: अनारक्षित पदों (पीडब्ल्यूबी को छोड़कर) के लिए प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 50% और पीडब्ल्यूबी उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 40%।

घ) इस पद के लिए अंक सूची प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन परीक्षा में न्यूनतम

उत्तीर्ण अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन और द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा।

ङ) चरण II की प्रायोगिक परीक्षा सीएसएल-कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट या सीएसएल द्वारा तय किए गए किसी अन्य केंद्र पर आयोजित की जाएगी।

च) अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले और प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ ऑफ़लाइन परीक्षा तथा द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पद के लिए रैंक सूची तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के कुल अंक समान हों, तो वस्तुनिष्ठ ऑफ़लाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रैंक सूची का क्रम निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद टाई होने की स्थिति में, आयु में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता का निर्णय किया जाएगा।.

छ) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करने का अधिकार रखता है और केवल ऐसे लघुसूचीगत किए उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

VIII. शर्तें

क) आरक्षण

(i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे ।

(ii) बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया *एक वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र* निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

ख) योग्यता

- **अनुबंध के आधार पर परियोजना सहायक (यांत्रिकी):**

(i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

(ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) **निर्धारित योग्यता के बिना, लेकिन बी.टेक, एम.एससी आदि जैसी उच्च योग्यता रखने वाले आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(iv) किसी आवेदकों को पदों केलिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है। कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और कुल ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित नहीं करते हैं। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में और/या अंकों के प्रतिशत में बदलने हेतु मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। फिर भी, जहां विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड निर्धारित नहीं करती है, वहां आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त करने केलिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है।

- **अनुबंध के आधार पर कार्यालय परिचर:**

(i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

(ii) **निर्धारित योग्यता के बिना, लेकिन डिप्लोमा, स्नातक आदि जैसी उच्च योग्यता रखने वाले आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ग) <u>अनुभव</u>

- **अनुबंध के आधार पर परियोजना सहायक (यांत्रिकी):**

(i) **उपरोक्त के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 21 जनवरी 2026 से की जाएगी।**

(ii) प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत संबंधित विषय में पूर्ण किए गए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को अनुभव माना जाएगा। पारिश्रमिक सहित किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण को भी अनुभव माना जाएगा।

(iii) **कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों या समकक्ष दर्जे की विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्रों को ही लघुसूची बनाने और चयन के लिए विचारणीय माना जाएगा।**

(iv) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में,कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश /प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं । पिछले रोज़गार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को स्थापित करने केलिए भी सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे के चयन प्रक्रिया केलिए विचार नहीं किया जाएगा ।

(v) चयनित उम्मीदवारों द्वारा चयनित होने के बाद सीएसएल में शामिल होने पर उनके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। यदि प्रमाण पत्र झूठा पाया जाता है, तो रोजगार अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

(vi) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत करना चाहिए । जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र / बुक में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए । सेवा अवधि के दौरान प्राप्त ऐसी योग्यता को भी योग्यता पश्चात् अनुभव की गणना में शामिल माना जाएगा। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए । उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(vii) **<u>आवेदकों को स्पष्ट रूप से किए गए कार्य की प्रकृति और कर्तव्यों, संबंधित कार्यों में संभाली गई जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान प्रमाण के रूप में अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।</u>**

(viii) **<u>पंजीकृत कंपनियों द्वारा लगे ठेकेदारों (स्वामित्ववाली फर्मों और साझेदारी फर्मों) से प्राप्त कार्य अनुभव को ठेकेदार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के आधार पर माना जा सकता है । ऐसे आवेदकों को ईएसआई/ईपीएफ विवरण जैसे अन्य प्रमाणों के साथ अपने अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के बिना ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।</u>**

(ix) **<u>जो इस रिक्ति अधिसूचना की तिथि अनुसार सीएसएल या सीएसएल के यूनिटों में अनुबंध के अंतिम वर्ष में है, वे भी अन्य सभी अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन आवेदन करने केलिए पात्र हैं । जो सीएसएल या सीएसएल के यूनिटों में अनुबंध के पहले वर्ष या दूसरे वर्ष में है, वे समान पद केलिए आवेदन करने के पात्र नहीं है ।</u>**

- **कार्यालय परिचर केलिए:**

(i) इस पद के लिए अनुभव अनिवार्य नहीं है। जिन आवेदकों के पास अधिसूचित पद में अनुभव है, उन्हें अपने कार्य की प्रकृति, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट विवरण देना होगा। साथ ही, अनुभव प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए अनुभव को प्रमाणित करने के लिए सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

(ii) **इस रिक्ति अधिसूचना की तिथि पर सीएसएल के अनुबंध के अंतिम वर्ष में कार्यरत आवेदक भी अन्य सभी अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने पर आवेदन करने के पात्र हैं। अनुबंध के प्रथम और द्वितीय वर्ष में कार्यरत आवेदक इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**

घ) <u>आवेदन शुल्क</u>

(i) **ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वॉलेट/ यूपीआई आदि) का उपयोग करके ₹ 300/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 30 दिसंबर 2025 से 21 जनवरी 2026 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । <u>भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा</u> ।**

(ii) **अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है । उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है ।**

(iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित लोगों को छोडकर, उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। **यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।**

ङ) <u>आवेदन कैसे करें</u>

(i) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ→सीकेएसआरयू, कोलकाता)** लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू को पढना चाहिए। आवेदन दो चरण होते हैं – **एक बार पंजीकरण** और **लागू पद केलिए आवेदन प्रस्तुत करना।** आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।

(ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ → सीकेएसआरयू, कोलकाता) के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। **<u>सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।</u>**

(iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई है और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

(iv) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।** आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति **"प्रगति में"** के रूप में (इनप्रोसस) दिखाई जाएगी । आवेदन की प्रस्तुति के बाद , उम्मीदवार" माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति **"प्रगति में"** है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) **<u>ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी ।</u>** ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए ।

(vi) ***आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क सीकेएसआरयू/ सीएसएल को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है ।***

(vii) वेबसाइट **दिनांक 30 दिसंबर 2025** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक **20 जनवरी 2026** है । अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। ***आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है ।***

च) <u>सामान्य</u>

(i) ***आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।***

(ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा :- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।

क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और

(i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या

(ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

(iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है;

ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या

ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनीमूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित ; या

घ) कार्मिक, जो अप्रैल14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या

ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता ; या

च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो ।

(iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है,और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career.cksru@cochinshipyard.inके ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीकेएसआरयू निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल की ओर से सीकेएसआरयू किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित

जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

(v) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(vi) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट **(कैरियर पृष्ठ→सीकेएसआरयू, कोलकाता)** के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीकेएसआरयू, कोलकाता) को बार- बार देखें।

(vii) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।**

(viii) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने और चयन हेतु बुलावा पत्र जारी करने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है। या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

(ix) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि केलिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल की ओर से सीकेएसआरयू, चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या उसके बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

(x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।

(xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

(xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान कोई रिक्ति होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिक्ति को एक नई रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

(xiii) इस अधिसूचना में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।

(xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और काम की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।

(xv) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

(xvi) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(xvii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

(xviii) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

(xix) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और आगे स्पष्टीकरण केलिए हमें कृपया career.cksru@cochinshipyard.in ईमेल और लैंडलाइन फोन नं. **033-2950-0058** से संपर्क करें।

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।”

ह/-
महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)